न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00406 (11/2012) 225 आरआईएक्ट

रामेश्वरलाल उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री रजीराम जाति बाजीगर साकिन 5 एलकेएस–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. दौलतराम (फौत)
   1/1 शांति देवी पत्नी दौलतराम
   1/2 नरसीराम
   1/3 पूर्णचन्द
   1/4 बीरबलराम
   1/5 संदीप कुमार
   1/6 पुरखाराम
   1/7 धर्मपाल
   (1/2 से 1/7 पिसरान दौलतराम; 1/1 से 1/7 जाति बाजीगर साकिन 5 एलकेएस–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान)
   1/8 सावित्री पत्नी प्रेमकुमार पुत्री दौलतराम
   1/9 रोशनी देवी पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्री दौलतराम
   (1/8 व 1/9 जाति बाजीगर साकिन न्यौली त0 व जिला हिसार)
   1/10 परमेश्वरी देवी पत्नी वेदप्रकाश पुत्री दौलतराम जाति बाजीगर साकिन 34 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. जयकौर पत्नी स्व0 हेतराम जाति बाजीगर साकिन 5 एलकेएस–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. गुड्डी देवी पुत्र स्व0 हेतराम पत्नी इन्द्राज जाति बाजीगर साकिन 34 आर. डब्लयू.डी.पोस्ट गंधेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. परमेश्वरी पत्नी स्व0 मान सिह (फौत)
5. प्रमाद
6. महेश
7. विनोद
   (5 से 7 नाबालिगान पत्रु स्व0 श्री मान सिंह जरिये कुदरति वली माता परमेश्वरी मान सिंह)
8. गंगाराम पुत्र रामचन्द्र
   (4 से 8 कौम बाजीगर साकिन 5 एलकेएस–बी तहसील पीलीबंगा)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:21 IST
Reason: SelfAttested

9. साहबराम } पिसरान } जाति बाजीगर
10. बृजलाल } चेतराम } साकिन नेतेवाला तहसील व जिला
11. कृष्णलाल } श्रीगंगानगर
12. कलावती देवी पत्नी चेतराम } राजस्थान
13. शारदा पुत्री चेतराम पत्नी शेराराम आरडब्ल्यूडी } बाजी बाजीगर साकिन 34
14. गुड्डी देवी पुत्री चेतराम पत्नी अमीलाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
15. लीला देवी पुत्री चेतराम पत्नी सतपाल जाति बाजीगर साकिन जोगीवाला तहसील भटटु जिला सिरसा हरियाणा। –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.01.2012 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा प्रकरण संख्या 57/2010 बअनवानी रामेश्वरलाल बनाम दौलतराम आदि

श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री ओ. पी. मोदी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1/1 से 1/10

निर्णय दिनांक:– 27.08.21

1. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत एक दावा पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र भी पेश किया।
2. प्रार्थना–पत्र में कथन कियाकि प्रार्थी के दादा श्री रामचन्द्र पुत्र जीवनराम के नाम से कृषि भूमि चक 7 एल.केएस. की 2.378 है0 व चक 5 एलकेएस–बी की 1.417 है0 खातदारी भूमि है। श्री रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है। उनके 6 वारीस चेतराम, रजीराम, गंगाराम, हेतराम, दौलतराम पिसरान रामचन्द्र व मनी देवी पुत्री रामचन्द्र है। रजीराम व चेतराम भी फौत हो चुके हैं। रजीराम के एक पुत्र प्रार्थी रामश्वेरलाल है। दादा श्री रामचन्द्र के फौत होने पर उक्त दोनों चकों की भूमि का विरासतन नान्मरतरण सं0 190/64 पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा दर्ज कर दिया गया था परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत लिखमीसर द्वारा अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर राजनैतिक लाभ हेतु इस इन्तकाल को स्वीकृत न कर प्रश्नगत भूमि का विवादित मानते हुए खारिज कर दिया, जबकि वरवक्त नामान्तरण यह भूमि विवादित नही थी। इस भूम में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है। उक्त दोनों चकों की 1/6 हिस्सा की भूमि की काश्त व देखभाल प्रार्थी के पिता रजीराम करते थे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी दूरसंचार विभाग में सर्विस करता है, जिसकी सेवानिवृति दिनांक 31.01.2008 को हुई है। इसलिए इस भूमि पर सर्विस के दौरान प्रार्थी द्वारा काश्त करना असम्भव था। प्रार्थी के पिता के फौत होने पर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:21 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण जबरन काबिज हो गये और इस भूमि का गलत फायदा उठाने लगे जिस पर प्रार्थी ने सहायक कलक्टर पीलीबंगा में दावा पेश किया इसके साथ अप्रार्थीगण ने एक दावा अनवान गंगाराम बनाम रामेश्वर लाल आदि पेश किया। इस दावा में वादीगण ने यह तथ्य अंकित कियेकि इस 15 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 8 ने आपस मे घरू बंटवारा कर लिया है वे इस भूमि पर काबिज काश्त है। वादीगण का यह दावा में वर्णित कथित बंटवारा कतई गलत व विधि के खिलाफ है। इस प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ है और न ही मुझ प्रार्थी की सहमति से के बिना बंटवारा हो सकता है। अप्रार्थीगण बतौर अतिक्रमी काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। और प्रार्थी की खातेदारी भूमि का अप्रार्थीगण गलत उपयोग व उपभोग कर रहे है और इसे खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। प्रश्गनत भूमि सहकाश्तकारान/खातेदारान की भूमि है, जिसका खाता अभी सांझा है। इस प्रार्थना–पत्र की दफ़ा 2 व 3 में वर्णित भूमि को केर्क कर रिसीवर नियुक्त करना न्यायोचित है। अतः प्रश्नगत भूमि को कुर्क कर तहसीलदार पीलीबंगा को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

3. प्रकरण दर्ज होने पर प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश किया, जिसमें कथन किया कि रामचन्द्र के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही है बल्कि अप्रार्थी सं0 1 व 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा अप्रार्थी सं0 2 का 1/4 हिस्सा जो अब फौत हो गये हैं। इसलिए उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया उनका 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. तथा अप्रार्थी सं0 4 ता 10 का 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. का हक बनता है। चूंकि रामचन्द्र के नाम मात्र अलॉटमेन्ट का प्रार्थना–पत्र दिया गया था तथा आवंटन से पूर्व ही रामचन्द्र फौत हो गया तो रामचन्द्र के पुत्रान दौलतराम, हेतराम, गंगाराम, व चेतराम ने प्रार्थना–पत्र दिया जिस पर बाद जांच उनके हक में आवंटन किया गया। इस प्रकार रजीराम का उक्त आवंटन में कोई हक व हिस्सा नहीं था ना ही रामचन्द्र के प्रार्थना–पत्र में परिवार के सदस्यों में रजीराम का नाम है।

4. प्रार्थी के पिता रजीराम ने अलग आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र दिया था जिस पर उसको चक 5 एलकेएस–बी में कुल 3.795 है0 रकबा अलॉट हुआ था बाद में कमीपूर्ति में तहसीलदार विजयनगर में चक 9 जीएम में 3.036 है0 भूमि अलॉट हुई जो उसके पास है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि जो हेतराम, गंगाराम, दौलतराम, व चेतराम के नाम से अलॉट हुई थी में उसका कोइ हक अधिकार नही है। प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही है प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया प्रार्थी को काई अपूर्णीय क्षति होना साबित नहीं होता है साथ ही विवादित भूमि की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:21 IST
Reason: SelfAttested

यथावत रखने हेतु आदेश पहले से दिये हुए है इसलिए अप्रार्थीगण को हस्तान्तरण आदि भी नही करने का अन्देशा है इसिलए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सारहीन है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

6. अपील में रेस्पोडेण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. भिजवाये गये जिनमें से रेस्पोडेण्ट सं0 1/1 से 1/10 के अधिवक्ता उपस्थित आये शेष रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/10 की बहस सुनी गई।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज पेश किये थे जिसमें प्रश्नगत भूमि रामचन्द्र के नाम दर्ज थी। जिसकी सनद खातेदारी भूमि रामचन्द्र को प्राप्त हुई है इसलिए रामचन्द्र के फौत होने पर उनके प्रत्येक वारीस का बराबर का हक व हिस्सा है। अपीलाण्ट का 1/6 हिस्सा है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित कर दिया कि प्रार्थी का हिस्सा अभी है या नही यह दावा के निर्णय में तय किया जाना है। इसलिए इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के मुताबिक यदि प्रश्गनत भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण का हिस्सा निश्चित नहीं है तो भूमि इन मिडीयो है, जिस पर रिसीवर नियुक्त करना न्यायोचित है ताकि जब तक दावा में हिस्सा तय नहीं हो कोई व्यक्ति उसका अकेला गलत उपयोग व उपभोग नही कर सके।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए कि इसी न्यायालय में ने विवादित भूम की रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत रखने के आदेश पहले से दिये हुऐ है इसलिए यह प्रार्थना–पत्र सारहीन है जो काबिल खारिज के है जबकि इस आदेश से पूर्व कोई भी आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड व मौका की स्थिति ता फैसला वाद रखने के आदेश नही दिये। इसी दिन दिनांक 18.01.2012 को प्रार्थना–पत्र धारा 212 रा.का.अधि. अनवान गंगाराम बनाम रामेश्वरलाल आदि में स्थगन आदेश ता फैसला वाद स्थाई किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर इससे पूर्व ता फैसला वाद स्थगन आदेश होने के काई दस्तावेज उपलब्ध नही थे इसके बावजूद भी वगैर दस्तावेज के तथ्य अंकित कर प्रार्थना–पत्र गलत खारिज किया है। पत्रावली पर अन्य सह काश्तकार व खातेदारों के शपथ–पत्र थे जिन्होंने भी इस भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्ति के आदेश जारी करने का निवेदन किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है। सहकाश्तकारान की भूमि का कोई एक व्यक्ति गलत उपयोग उपभोग नही कर सकता है। इस पर रिसीवर नियुक्त करना या काबिज व्यक्ति को प्रतिभूति राशि पर देना विधि सम्मत व न्यायोचित है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है जो खारिज किया जावे

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:21 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 719 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 /1 से 1/10 ने अपनी बहस में कथन किया कि रामचन्द्र नामक व्यक्ति के 5 पुत्र थे, जिनके नाम रजीराम, चेतराम, गंगाराम, हेतराम, दौलतराम हैं। रजीराम रामचन्द्र के जीवनकाल में रामचन्द्र के परिवार से चल–अचल सम्पति में अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया था। शेष चारों पुत्र रामचन्द्र के साथ परिवार के सदस्य के रूप में साथ रहे। विवादित राजकीय भूमि रामचन्द्र व उसके चार पुत्रों के कब्जा कास्त में रही। रामचन्द्र के परिवार के सदस्यों में 4 पुत्र ही थे जिनमें रजीराम नही था। रामचन्द्र की मृत्यु के बाद रामचन्द्र के चारों पुत्रों को विवादित भूमि का आवंटन किया गया जिसकी तमाम किस्तें चारों पुत्रों ने जमा करवाई है और आवंटन के पूर्व से चारों भाईयों चेतराम, गंगाराम, हेतराम, दौलतराम का कब्जा कास्त चला आ रहा है। चारों को भूमिहीन होने के तहत आवंटन हुई है। रामचन्द्र की मृत्यु के बाद चारों पुत्रों ने 15 बीघा भूमि अलॉट करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जो उन्हें अलॉट हुई। राजस्व रिकार्ड में गलती से रामचन्द्र का नाम दर्ज हो गया इसलिए अपीलाण्ट ने गलत दावा पेश किया। अपीलाण्ट का भूमि में कोई हक नही है।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्टान के विरूद्ध विवादित भूमि रहन, बय, मुंतकिल ना करने हेतु एवं भूमि खुर्द–बुर्द ना करने हेतु एवं यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। आवंटन से पूर्व से तथा दावा दायरी के पूर्व से रेस्पोडेन्टान का कब्जा कास्त चला आ रहा है वे भूमि को किसी भी प्रकार से वेस्ट–डेमेज नही कर रहे है तथा नाही रहन बय कर रहे हैं। प्रोपर्टी इन मीडियो नहीं है। ऐसी स्थिति में रिसीवर नियुक्त करने का को औचित्य नहीं है। वह एक कठोर कदम है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018 (2) पेज 1428, आरआरटी 2019 (2) पेज 934 एचसी, आरआरडी 1985 पेज 63, आरआरडी 1986 पेज 1, आरआरडी 1987 पेज 128, 130, आरआरडी 1989 पेज 402, आरआरडी 1990 पेज 188, 424, आरआरडी 1994 पेज 142, 781, आरआरडी 1995 पेज 640, आरआरडी 1996 पेज 407, आरआरडी 1998 पेज 80 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

12. रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 06.08.2021 को प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज केवल मात्र दस्तावेजों की फोटो प्रतियॉ है। इसलिए प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:21 IST
Reason: SelfAttested

13. अपीलाण्ट का अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन है प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है अप्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट उसके हिस्से पर विधि विरूद्ध तरीके से काबिज होकर उसका गलत उपयोग व उपभोग कर रहे है। और इसे खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इसलिए प्रश्गनत भूमि में पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह पाया है कि उभयपक्षकारान की बीच एक वाद पूर्व में भी इसी बिन्दू पर विचाराधीन है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वादी दी हुई है। विवादित भूमि में अपीलाण्ट का अभी हिस्सा है या नही इस बाबत अभी पूर्व वाद में निर्णय किया जाना शेष है इसलिए इस प्रार्थना–पत्र में यह साबित नहीं होता है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में कोई हिस्सा या हक निहित है। प्रकरण में प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति होना साबित नहीं होता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु आदेश पहले से दिये हैं इसलिए अप्रार्थीगण को हस्तान्तरण आदि भी नही होने का अंदेशा है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्टान का कब्जा काश्त है जो एक स्वीकृत तथ्य है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1996 में यह माना गया है कि जब विवादिग्रस्त भूमि पर एक पक्षकार का कब्जा है तथा भूमि को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जा रही हो और उसका हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को अपनी अन्तर्निहित शक्तियों के तहत रिसीवर नियुक्त की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। इस विचार से हम पूर्णतया सहमत हैं। रिसिवर नियुक्ति एक बहुत कठोर कदम है एवं किसी व्यक्ति को कब्जे से बेदखल करने के लिये रिसीवर नियुक्त नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

14. अतः यह अपील खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.01.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/21

(करतार सिंह पूनियाँ)
आरएएस
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:21 IST
Reason: SelfAttested